



UPFD010004722006

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं० 343/2006

राज्य अभियोजनपक्ष

बनाम

- 1- रोहन सिंह पुत्र भवानी शंकर,
- 2- रामनाथ पुत्र राम किशन,
- 3- दिवारीलाल पुत्र ताराचन्द्र,
- 4- जनक सिंह पुत्र राम किशन,

समस्त निवासीगण- खंजापुर, थाना रसूलपुर, जिला फिरोजाबाद।

..... अभियुक्तगण।

धारा- 323,324,504,506 भा०द०सं०
 व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 थाना- रामगढ, जिला- फिरोजाबाद।
 अपराध संख्या- C-6/2005

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० C-6/2005 में अभियुक्तगण रोहन सिंह, रामनाथ के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323,324,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट प्रदर्श क-7 के आधार पर संस्थित होकर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी (Informant) अनार सिंह पुत्र बाबूराम, निवासी आसफाबाद, थाना

रसूलपुर, जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द०प्र०सं० प्रदर्शक-1 सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि-

"निवेदन है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का धोबी है, जबकि अभियुक्तगण जाति के दबंग लोधी राजपूत हैं और ताकत के बल पर प्रार्थी की जमीन छीनना चाहते हैं। प्रार्थी दिनांक 25-09-2004 को हिमायूँपुर चम्बल सैन्ड बालू की मण्डी से समय लगभग 10.00 बजे सुबह वापस सैलईवाइपास से लालपुर की ओर आ रहा था कि लालपुर स्कूल से करीब 100 कदम पहले सैलई की तरफ जैसे ही पहुँचा पहले से घात लगाये बैठे रोहन सिंह कट्टा लेकर उसके साथी दिवारीलाल चाकू लेकर, जनक सिंह व रामनाथ ने डण्डे लेकर जान से मारने की नीयत से प्रार्थी को घेर लिया और एक राय होकर सभी ने कहा कि मिल गया साला धोबी वाला इसे जान से मार दो। इतना कहते हुए दिवारीलाल ने जान से मारने के उद्देश्य से प्रार्थी के सीने में दाईं तरफ चाकू मारा तथा जनक सिंह व रामनाथ ने डण्डों से मारापीटा। घटना के समय आस-पास देख रहे राहगीरों पप्पू ठाकुर, फईम खाँ, तोडीराम आदि गवाहान ने ललकारा तो दिवारीलाल के कहने से रोहन सिंह ने प्रार्थी पर कट्टे से फायर किया जिससे प्रार्थी बाल-बाल बच गया तो मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर चले गये। प्रार्थी के सीने में चोट होने के कारण राहगीरों की मदद से प्रार्थी पहले अस्पताल गया व अपना इलाज व डाक्टरी मुआयना कराया बाद डाक्टरी मुआयना रिपोर्ट हेतु थाने गया चूंकि सीधे हाथ की तरफ सीने में व शरीर में चोट होने के कारण स्वयं लिखने में असमर्थ था, इसलिए टाईपशुदा रिपोर्ट थाने पर दी थाने पर प्रार्थना पत्र रिसीव कर लेने के बाद भी आज तक प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी है जबकि प्रार्थी लगातार थाने के चक्कर लगा रहा है। थाने पर दिये प्रार्थना पत्र व डाक्टरी परीक्षण की छाया प्रति शपथपत्र के साथ संलग्न है, उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थी का मुकदमा थाने पर दर्ज कराकर विवेचना कराने हेतु आदेश करने की कृपा करें।"

3. वादी के धारा 156(3) द०प्र०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के आदेश से थाना रामगढ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या C-6/2005 अभियुक्तगण रोहन सिंह, दिवारीलाल,

जनक सिंह एवं रामनाथ के विरुद्ध अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये घटनास्थल निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। अभियुक्तगण दिवारीलाल एवं जनक सिंह की नामजदगी गलत पायी गयी। अभियुक्तगण रोहन सिंह एवं रामनाथ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र उपरोक्त प्रेषित किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 207 द०प्र०सं० का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मामला सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

4. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्तगण रोहन सिंह एवं रामनाथ को आरोप के बिंदु पर सुना गया तथा दिनांक 21-07-2008 को धारा 323/34, 324/34, 504, 506 भा०द०सं० एवं धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने समस्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण दिवारीलाल एवं जनक सिंह को न्यायालय द्वारा धारा 319 द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तलब किया गया है। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्तगण दिवारीलाल व जनक सिंह को आरोप के बिंदु पर सुना गया तथा दिनांक 07-01-2010 को धारा 323/34, 324/34, 504, 506 भा०द०सं० एवं धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने समस्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 324 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने शारीरिक पीड़, रोग, अंग शौथिल्य कारित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय या इस ज्ञान के साथ किया कि यह कार्य शारीरिक पीड़, रोग या अंग शौथिल्य कारित करेगा,
- (iii) यह कि वह आवेश में नहीं था;
- (iv) यह कि यह किसी असन, बेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा, जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है या किसी जीन जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि-**

कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा (X) के प्रावधान के अनुसार- जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभिन्नस्त करेगा:-

वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

6. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 अनार सिंह	वादी मुकदमा (Informant)
2	PW-2 पप्पू चौहान	चक्षुदर्शी साक्षी
3	PW- 3 तोडीराम	चक्षुदर्शी साक्षी
4	PW- 4 हेड का० 11 राजेश कुमार	चिक लेखक
5	PW- 5 डा० दिलीप कुमार	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
6	PW- 6 देवेन्द्र भूषण	विवेचक

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	प्रार्थना पत्र धारा 156(3)द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 1
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क- 2
3	जी०डी०	प्रदर्श क- 3
4	जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र	प्रदर्श क- 4
5	मेडिकल रिपोर्ट अनार सिंह	प्रदर्श क- 5
6	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 6

7	आरोप पत्र	प्रदर्शक- 7
---	-----------	-------------

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षियों को रंजिशन झूठी गवाही देना एवं जमीनी रंजिश के कारण मुकदमा चलना बताया तथा स्वयं को निर्दोष बताया है।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबल्यू० 1 अनार सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबल्यू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं धोबी जाति का हूँ व अनुसूचित जाति का हूँ। मुल्जिमान लोधी राजपूत हैं। मुल्जिमान मुझे मेरी जमीन जबरन छीनना चाहते हैं और उसी की वजह से मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। घटना दिनांक 25-09-2004 को मैं हिमाँऊपुर चम्बल सैन्ड की मण्डी से वापस लौट रहा था। सैलई बाई पास से होकर अपने घर आसफाबाद को आ रहा था। समय करीब 10.00 बजे सुबह जब मैं लालपुर स्कूल से 100 कदम पहले सैलई की तरफ पहुँचा था तो वहाँ पहले से घात लगाये हुये रोहन सिंह, दिवारीलाल, जनक सिंह व रामनाथ मौजूद थे। रोहन सिंह के पास तमंचा था। दिवारीलाल पर चाकू व जनक सिंह व रामनाथ पर डन्डे थे। इन लोगों ने एक राय होकर मुझे घेर लिया और कहा कि 'साले धोबिया' आज तुझको जान से मार देंगे। जाति सूचक शब्द कहकर भट्टी-भट्टी गालियाँ दी और मुझे अपमानित किया। इतना कहते हुये दिवारीलाल ने मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर चाकू से वार किया था जो मेरे सीने के पास लगा था, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। जनक सिंह व रामनाथ ने मुझे डन्डों से मारा था। जिससे मेरे चोटें आई थी। घटना के समय पप्पू ठाकुर, तोडीराम एवं फईम खाँ आदि लोगों ने मुल्जिमान को ललकारा था। तभी दिवारीलाल के कहने पर कि साले को गोली मार दो जिन्दा नहीं बच जाये, तभी रोहन सिंह ने कट्टे से मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। मैं एकदम जमीन पर बैठ गया। फायर मूँज में लगा था। मैं बाल-बाल बचा था। सभी मुल्जिमान मुझे

जान से मारने की धमकी देकर भाग गये थे। इसके बाद मैं राहगीरों की मदद से SNM हास्पिटल फिरोजाबाद पहुँचा था। जहाँ मेरा डाक्टरी मुआयना एवं इलाज हुआ था। इसके बाद मैं उसी दिन थाना रामगढ गया था। जहाँ मैंने घटना के सम्बन्ध में टाइपशुदा तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की उसके बाद मैं थाने के चक्कर काटता रहा लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। तब मैंने दिनांक 29-09-2004 को दबरई न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र टाइपशुदा धारा 156(3)द०प्र०सं० के अन्तर्गत दिया था। जिस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे तथा उसी के साथ समान प्रक्रिया में तैयार कार्बन प्रपत्र पर भी मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे, जो पत्रावली में शामिल हैं। जिन पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-1 अंकित करता हूँ। न्यायालय के आदेश से थाने पर मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 पप्पू चौहान को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं नाहर सिंह पुत्र बाबूराम निवासी आसफाबाद को मैं जानता हूँ। मैं इतवार को छोड़कर रोजाना साइकिल से बम्बा रोड पर सैलई की तरफ जाता हूँ। तारीख का मुझे ध्यान नहीं है। मैंने लालपुर स्कूल से आगे सैलई की तरफ नाहर सिंह के साथ मुल्जिमान हाजिर अदालत रोहन सिंह व रामनाथ को मारपीट करते व गाली-गलौज करते व जान से मारने की धमकी देते व जाति सूचक शब्द कहते हुये नहीं देखा था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 तोडीराम को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना से आज से लगभग 19 वर्ष पुरानी है। समय 10.00 बजे की है। मैं चूड़ी का काम करने जाता था। लालपुर से 100 कदम आगे मारपीट हो रही थी। अनार सिंह को रोहन सिंह, जनक सिंह, दिवारीलाल, रामनाथ यादव मारपीट लात, घूसों, डण्डों से मारपीट कर रहे थे। चाकू से मार रहे थे। यह मारपीट वाली घटना मेरे सामने की है। अनार सिंह दिवाकर जाति (धोबी) का है। मुल्जिमान लोधी राजपूत जाति के हैं।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 हैड का० 11 राजेश कुमार को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“मैं दिनांक 22-02-2005 को थाना रामगढ़ में कान्सटेबल पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा की न्यायालय के आदेश से मु०अ०सं०ख्या C-6/2005 धारा 323,324,307,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी० एस०टी० एक्ट बनाम रोहन सिंह आदि 04 नफर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। चिक एफ०आई०आर० पत्रावली पर कागज सं० 4अ/1 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, इस चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया। इसका खुलासा मैंने रोजनामचाआम में रपट नं० 30 समय 17.40 बजे किया था। असल जी०डी० नियमानुसार नष्ट हो चुकी है। जिसका प्रमाण पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर आया हूँ। जी०डी० कागज सं० 5अ/2 है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ तथा जी०डी० पर प्रदर्श क-3 अंकित किया गया। जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया।”

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 डा० दिलीप कुमार को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“मैं दिनांक 25-09-2004 को जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने अनार सिंह पुत्र बाबूराम का मेडीकल किया था। मजरुब स्वयं मेरे पास आया था। मजरुब का पहचान चिन्ह अगूँठा निशानी लेकर मैंने चिकित्सीय परीक्षण किया था। मजरुब को निम्नलिखित चोटें थी-

चोट नं० 1- कटा हुआ घाव 02cmX0.5cm माँस तक गहरा था जो सीने पर सामने की तरफ दाहिनी तरफ था जो 6 ½ cm (6.5) राईट निपिल से नीचे की तरफ था, जो एट ऑफ क्लॉक पोजीशन में था, पर ताजा जमा हुआ खून लिये मौजूद था।

चोट नं० 2- नीलगू निशान 07cmX02cm जो बाँये भुजा पर बाहर की तरफ बीच के हिस्से में लालिमा लिये हुये था।

चोट नं० 3- नीलगू निशान 06cmX02cm जो बाँये कन्धे पर था लालिमा लिये हुये था।

चोट नं० 4- नीलगू निशान 07cmX02cm जो बाँयी जाँघ पर था। बाहर की तरफ बीच के हिस्से में लालिमा लिये हुये था।

चोट नं० 5- चुटैल द्वारा सीने पर सामने की तरफ एवं पेट पर दर्द की शिकायत की गयी कोई चोट का निशान नहीं था।

मेरी राय में कोई भी ओपिनियन नहीं दी गयी थी। मेरी राय में चोट नं० 1 किसी धारदार हथियार एवं अन्य चोटें ठोस एवं कुंद आले से आना संभव है। चोटें ताजा थी एवं सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 8 अ/1 मेडिकल रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क-5 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 6 देवेन्द्र भूषण विवेचक को परीक्षित किया गया, जिसने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 22-02-2005 को पुलिस उपाधीक्षक नगर के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० C-6/2005 धारा 323,324,307,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(X) एस०सी० एस०टी० एक्ट थाना रामगढ बनाम रोहन सिंह आदि 04 नफर की विवेचना ग्रहण की गयी थी। पर्चा नं० 1 में नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक का० राजेश कुमार अंकित किये। पर्चा नं० 2 में बयान अनार सिंह अंकित किये एवं वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल कर नक्शा नजरी तैयार किया था। नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज सं० 7 अ है, जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है। मैं नक्शा नजरी पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस नक्शा नजरी पर प्रदर्श क-6 अंकित किया गया। तत्पश्चात समाई साक्ष्य मुन्नेलाल, सानू अंकित की गयी। पर्चा नं० 3 में अभियुक्त रोहन सिंह को गिरफ्तार कर उसके बयान अंकित किये। पर्चा नं० 4 में अभियुक्तगण की तलाश की गयी। पर्चा नं० 5 में बयान चश्मदीद साक्षी पप्पू ठाकुर, फईम खाँ अंकित किये। पर्चा नं० 6 में डा० दिलीप कुमार, शपथकर्ता रोशनलाल, राजवीर, ओमकार सिंह, धर्मवीर सिंह, मैकूलाल, अनार सिंह अंकित किये। डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट एवं बयान गवाहान आदि के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 307 भा०दं०सं० का होना नहीं पाया गया। अभियोग में धारा 323,324,504,506 भा०दं०सं० व धारा

3(1)10 एस०सी०एस०टी० एक्ट के अपराध का होना पाया गया। धारा 307 भा०दं०सं० का लोप किया गया। अभियोग में साक्ष्य संकलन तथा गवाहों के बयानों से गहराई से विवेचना की गयी तो अभियुक्तगण दिवारीलाल व जनक सिंह की नामजदगी गलत पायी गयी। पर्चा नं० 7 में अभियुक्त रामनाथ की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गयी दस्तयाब नहीं हुआ। पर्चा नं० 8 में रामनाथ को गिरफ्तार किया गया एवं उसके बयान अंकित किये गये। पर्चा नं० 9 में बयान गवाह चश्मदीद तोडीराम, डा० दिलीप कुमार अंकित किये गये। तमामी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन से अभियुक्तगण रोहन सिंह, रामनाथ के विरुद्ध बखूब साबित होने पर आरोप पत्र धारा 323,324,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०एस०टी० एक्ट में न्यायालय में दाखिल किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर दाखिल है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। आरोप पत्र की शिनाख्त करता हूँ। आरोप पत्र पर प्रदर्श क-7 अंकित किया गया। एस०सी०डी० 1 दिनांक 01-04-2005 को किता की थी जिसमें बयान मजीद चश्मदीद साक्षी तोडीराम, पप्पू ठाकुर बयान गवाह फईम खाँ अंकित किये गये।

10. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 25-09-2004 को वादी/चोटहिल अनार सिंह को अभियुक्तगण रोहन सिंह, रामनाथ, दिवारीलाल, जनक सिंह ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में लाठी, डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ? क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय से तेज एवं धारदार हथियार (चाकू) से वार कर वादी अनार सिंह को उपहति कारित की गयी ? क्या अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक गालियां देकर गाली-गलौज की गयी और लोक शान्ति भंग की गयी ? क्या अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी ? क्या अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध यह जानते हुए किया गया कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है ?

12. अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य, साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं०, नक्शा नजरी, चोटहिल एवं चक्षुदर्शी साक्षियों के बयानों से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे सिद्ध है। अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

13. दूसरी ओर बचाव पक्ष/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच विचार करने के उपरान्त विधिक सलाह लेते हुए विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। मेडिकल प्रपत्र, नक्शा नजरी भी मनमानेपूर्ण ढंग से तैयार किया गया है। विवेचक ने वादी से मिलकर अनुचित ढंग से आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पुरानी रंजिश के कारण और अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से मुकदमेंबाजी चली आ रही है। याचना की गयी है कि अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाये।

14. प्रस्तुत घटना के सम्बन्ध में थाना रामगढ पर मु०अ०संख्या C-6/2005, अभियुक्तगण रोहन सिंह, रामनाथ, दिवारीलाल एवं जनक सिंह के विरुद्ध दिनांक 22-02-2005 को समय 14.40 पर न्यायालय के आदेश के उपरान्त अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में पंजीकृत की गयी, जबकि घटना दिनांक 25-09-2004 प्रातः 10.00 बजे की है। इस सम्बन्ध में वादी पी०डब्लू० 1 अनार सिंह, जो कि चोटहिल भी है, ने अपने शपथपूर्वक बयान में यह कहा कि "घटना के पश्चात मैं राहगीरों की मदद से SNM अस्पताल फिरोजाबाद पहुँचा और डाक्टरी मुआयना और इलाज हुआ। उसके बाद उसी दिन थाने गया और मैंने घटना के सम्बन्ध में टाइपशुदा तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद मैं थाने के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। तब मैंने दिनांक 29-02-2004 को दबरई न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० दिया। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। एक ही प्रक्रिया में तैयार कार्बन की प्रति पर भी हस्ताक्षर किया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रदर्श क-1 अंकित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी हेड का० 11 राजेश कुमार पी०डब्लू० 4 को परीक्षित

किया गया, जिनके साक्ष्य में आया है कि "मैं दिनांक 22-02-2005 को थाना रामगढ में कान्सटेबल क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के आदेश दिनांक 01-06-2005 अन्तर्गत 323,324,307,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम रोहन सिंह आदि कुल 04 नफर के विरुद्ध दर्ज किया गया। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं० 4अ/1 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इसका खुलासा रोजनामचाआम जी०डी० में समय 17.40 बजे किया गया। मूल रोजनामचाआम नियमानुसार विनष्ट किया जा चुका है। विनष्टिकरण प्रमाण पत्र प्रदर्श क-4 है। जी०डी० पर प्रदर्श क-3 अंकित किया गया। कान्सटेबल क्लर्क पी०डब्लू० 4 और वादी पी०डब्लू० 1 के बयानों से यह स्पष्ट है कि घटना के सम्बन्ध में तत्काल वादी थाने पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने के लिए गया था, किन्तु सम्बन्धित थाने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया और अन्ततः न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सम्यक सुनवाई उपरान्त विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिनांक 14-02-2005 पारित किया गया। स्पष्ट है कि वादी की तरफ से कोई अनुचित विलम्ब नहीं कारित किया गया। वादी ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए तत्काल सम्बन्धित थाने से सम्पर्क किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई और विवश होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस प्रकार जो भी विलम्ब कारित हुआ वादी के कारण नहीं अपितु विधिक प्रक्रिया अपनाये जाने के कारण हुआ है। उपरोक्त कथित विलम्ब का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ेगा। मामले के तथ्यों परिस्थितियों में कथित विलम्ब सुस्पष्ट एवं संतोषजनक है। घटना के सम्बन्ध में विवेचना, विवेचक देवेन्द्र भूषण पी०डब्लू० 6 द्वारा की गयी है। विवेचक पी०डब्लू० 6 देवेन्द्र भूषण के साक्ष्य में आया है कि "मैं दिनांक 22-02-2005 को पुलिस उपाधीक्षक नगर के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० C-6/2005 धारा 323,324,307,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(X) एस०सी० एस०टी० एक्ट थाना रामगढ बनाम रोहन सिंह आदि 04 नफर की विवेचना ग्रहण की गयी थी। चिक

प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक व साक्षीगण, चिकित्सक आदि के बयान अंकित किये गये। नक्शा नजरी घटना स्थल का निरीक्षण कर तैयार किया गया। नक्शा नजरी पत्रावली पर प्रदर्श क-6 है, जो उनके लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया। साक्षियों के बयानों के उपरान्त धारा 307 भा०दं०सं० का अपराध होना नहीं पाया गया और उसका लोप किया गया। विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण दिवारीलाल और जनक सिंह की नामजदगी गलत पायी गयी। मात्र रोहन सिंह और रामनाथ के विरुद्ध आरोप पत्र साक्षी पी०डब्लू० 6 द्वारा तैयार कर पत्रावली पर प्रेषित किया गया जो पत्रावली पर प्रदर्श क-7 है। घटना के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा वादी (Informant) पी०डब्लू० 1 अनार सिंह को परीक्षित किया गया। पी०डब्लू० 1 अनार सिंह ने अपने शपथपूर्वक बयान में यह कहा कि "मैं धोबी जाति का हूँ व अनुसूचित जाति का हूँ। मुल्जिमान लोधी राजपूत हैं। मुल्जिमान मुझे मेरी जमीन जबरन छीनना चाहते हैं और उसी की वजह से मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। घटना दिनांक 25-09-2004 को मैं हिमाँऊपुर चम्बल सैन्ड की मण्डी से वापस लौट रहा था। सैलई बाई पास से होकर अपने घर आसफाबाद को आ रहा था। समय करीब 10.00 बजे सुबह जब मैं लालपुर स्कूल से 100 कदम पहले सैलई की तरफ पहुँचा था तो वहाँ पहले से घात लगाये हुये रोहन सिंह, दिवारीलाल, जनक सिंह व रामनाथ मौजूद थे। रोहन सिंह के पास तमंचा था। दिवारीलाल पर चाकू व जनक सिंह व रामनाथ पर डन्डे थे। इन लोगों ने एक राय होकर मुझे घेर लिया और कहा कि 'साले धोबिया' आज तुझको जान से मार देंगे। जाति सूचक शब्द कहकर भट्टी-भट्टी गालियाँ दी और मुझे अपमानित किया। इतना कहते हुये दिवारीलाल ने मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर चाकू से वार किया था जो मेरे सीने के पास लगा था, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। जनक सिंह व रामनाथ ने मुझे डन्डों से मारा था। जिससे मेरे चोटें आई थी। घटना के समय पप्पू ठाकुर, तोडीराम एवं फईम खाँ आदि लोगों ने मुल्जिमान को ललकारा था। तभी दिवारीलाल के कहने पर कि साले को गोली मार दो जिन्दा नहीं बच जाये, तभी रोहन सिंह ने कट्टे से मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। मैं एकदम जमीन पर बैठ गया। फायर मूँज में लगा था। मैं बाल-बाल बचा था। सभी मुल्जिमान मुझे

जान से मारने की धमकी देकर भाग गये थे। इसके बाद मैं राहगीरों की मदद से SNM हास्पिटल फिरोजाबाद पहुँचा था। जहाँ मेरा डाक्टरी मुआयना एवं इलाज हुआ था। इसके बाद मैं उसी दिन थाना रामगढ गया था। जहाँ मैंने घटना के सम्बन्ध में टाइपशुदा तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की उसके बाद मैं थाने के चक्कर काटता रहा लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। तब मैंने दिनांक 29-09-2004 को दबरई न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र टाइपशुदा धारा 156(3)द०प्र०सं० के अन्तर्गत दिया था। जिस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे तथा उसी के साथ समान प्रक्रिया में तैयार कार्बन प्रपत्र पर भी मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे, जो पत्रावली में शामिल हैं। जिन पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-1 अंकित करता हूँ। न्यायालय के आदेश से थाने पर मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ।" प्रति-परीक्षा में साक्षी ने कहा कि "मुल्जिमान के मकान मेरी दुकान के पास में ही है। मुल्जिमान की दुकाने मेरी दुकान से करीब 20-25 कदम की दूरी पर है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मुल्जिमान की दुकाने उनके खेत में बनी है या प्लाट खरीदकर दुकान बनवाई है। मैं 300 मीटर तक आसानी से देख सकता हूँ। मेरी दुकान के आसपास मुल्जिमानों की दुकाने नहीं है। मेरी आसफाबाद पर दो दुकाने बालू व सीमेंट की हैं। मेरी दुकान के पश्चिम ओर सड़क है। मेरी दुकान का मुँह पश्चिम तरफ है। आगे जाकर मुल्जिमान की दुकाने पूर्व तरफ हैं। पश्चिम तरफ नहीं है। सड़क पार करके पश्चिम तरफ मुल्जिमान की दुकाने हैं। सामने मुल्जिमान की आटा चक्की भी नहीं है। रामनाथ पहले तरबूज बेचते थे। रोहन सिंह की और खाली जमीन आगे पड़ी है। रोहन सिंह के दो लड़के हैं। यह क्या काम करते हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने अपनी दुकान का प्लाट बृजेश पण्डित से खरीदी थी। मेरी दुकान पर मेरा छोटा भाई बैठता है। मैं दुकान पर कम बैठता हूँ। भाई ज्यादा बैठता है। जब मेरा भाई दुकान पर बैठता है तब चम्बल रोड की मन्डी जाता हूँ। मैं अपनी दुकान पर बालू, सीमेंट, सरिया, मिट्टी बेचता हूँ। इस दुकान के अलावा अन्य कोई दुकान मेरे पास नहीं है। मेरी दुकान के सामने मुल्जिमान अपनी दुकान पर बैठते दिखाई देते हैं। कभी-कभी दिखाई देते हैं। मेरे पास ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल है। मेरे नाम रिवाल्वर का लाइसेंस है। रिवाल्वर मैंने जान

माल की सुरक्षा के लिये ली है। रिवाल्वर कभी-कभी साथ रखता हूँ। घटना 25-09-2004 की है। पहले भी मुझे मुल्जिमान ने 2-3 बार मारापीटा था। लेकिन वही पर समझौता हो गया। थाने नहीं गया। खर्चे के 100-500 दे दिये थे। मेरी दुकान से उमाऊ मन्डी 5-6 किलोमीटर दूर है। मैं दुकान पर मन्डी साइकिल से गया था। मैं सुबह घर से पाँच-साढ़े पाँच बजे निकला था। मन्डी पहुँचने में एक घन्टा लगता है। मैं मन्डी छह-साढ़े छह बजे पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर मैं एक घन्टा रुका था फिर चला आया था। घटना वाले दिन मैं मन्डी से करीब साढ़े सात बजे वापिस लौटा था। हिमाँऊपुर मन्डी सड़क पर है। मन्डी के पास कोई मन्डी नहीं है। हिमाँऊपुर मन्डी में भाई साहब के ट्रक में लदी बालू मैंने बेची थी। मेरे छोटे भाई वीरी सिंह ने मुझे अपनी बालू बेचने भेजा था। मुझसे व रोहन सिंह से जमीन सम्बन्धी मुकदमें चल रहे हैं। रोहन सिंह की दुकान टूटने की बाबत मुकदमा मेरे व मेरे भाइयों के खिलाफ चल रहा है। सैलई से हिमाँऊपुर कितनी दूरी पर है। मुझे जानकारी नहीं है। हिमाँऊपुर मन्डी से मैं साइकिल से तगादा करता हुआ वापिस आ रहा था। मेरे आगे-पीछे कोई आ रहा था इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं बम्बा की पटरी पर चल रहा था। मैं सड़क पर चल रहा था। हिमाँऊपुर मन्डी से घटना स्थल 4 किलोमीटर पूरब दिशा में है। घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर मकान बने हैं। मुल्जिमान ने मुझे उत्तर दिशा से घेरा था। मुल्जिमान के पास कोई वाहन नहीं था। मुल्जिमान घटना के बाद उत्तर दिशा में भागे थे। घटना स्थल के पश्चिम में रोड है। दक्षिण में खाली खेत है। उत्तर दिशा में मूँज है। झाड़िया हैं। झाड़िया 4-5 फीट ऊँची थी। घटना स्थल के उत्तर में नाला है जो सूखा है। पानी नहीं चलता है। मुल्जिमान मूँज में से निकल कर आये। मुल्जिमान मुझसे 3-4 फीट की दूरी पर थे। नाला की चौड़ाई करीब 10-11 फीट है। मुल्जिमान पहले से पटरी पर बैठे थे, फिर कहा मूँज से निकल कर आये थे। मुल्जिमान ने गाली-गलौज की थी वैसे ही मैं गिर गया था। मैं साइकिल रोककर गिराया था। मैं डर गया था। इसलिए गिर गया था। स्वेच्छा से लेटा नहीं था। घटना के समय सूर्य निकला हुआ था। मुल्जिमान को मैं पहले से जानता हूँ। पप्पू ठाकुर मेरे यहाँ आते-जाते नहीं है। तोड़ीराम मेरे साले नहीं लगते हैं। घटना स्थल पर मैं बेहोश नहीं

हुआ था। मेरे गिरते ही मुल्जिमान मेरे पास आ गये थे। मेरे गिरने के पहले मुल्जिमान ने मेरे साथ मारपीट नहीं की थी। घटना स्थल पर तोड़ीराम व फईम खाँ आये थे और कई लोग आये थे। जिनके नाम मैंने नहीं जानता हूँ। इनके नाम मुझे बाद में पता चले थे। मैं घटना स्थल पर करीब 10 मिनट तक घायल अवस्था में पड़ा रहा था। 05 मिनट तक मेरे साथ मारपीट हुई थी। सबसे पहले मेरे दिवारीलाल ने चाकू मार दिया था। जनक सिंह व रामनाथ ने मुझे उन्डों से मारा था। घटना स्थल से मुझे राहगीर मोटरसाइकिल से अस्पताल ले गये थे। चाकू पहले से खुला था। चाकू लगने के बाद मैं बेहोश नहीं हुआ था। चाकू मारने के बाद दिवारीलाल ने कहा था कि गोली मार दो तब रोहन सिंह ने गोली मारी थी। घनटा स्थल से मैं अस्पताल 10 मिनट में पहुँच गया था। पहले थाने नहीं गया था। पहले अस्पताल गया था। अस्पताल में भर्ती नहीं रहा था। टाँके लगा दिये थे। फिर 15-20 मिनट में छुट्टी कर दी थी। यह कहना गलत है कि मैंने फर्जी घटना दिखाकर मुल्जिमान को झूठा फंसाया हो। यह कहना गलत है कि मुकदमा फर्जी होने के कारण पुलिस ने उस दिन मेरी रिपोर्ट दर्ज न की हो। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान की जमीन ताकत के बल पर घेरना चाहता हूँ।"

चुटैल/वादी अनार सिंह का मेडिकल परीक्षण दिनांक 25-09-2009 को समय 11.00 AM पर SNM अस्पताल फिरोजाबाद में EMO (इमरजेन्सी मेडिकल ऑफिसर) डा० दिलीप कुमार द्वारा किया गया। वादी की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्शक-5 निम्नवत है-

Examined Anar singh aged 30year S/O Ram Baboo, R/O Asfabad, District Firozabad Dated 25-09-2004 at 11.00 AM.

B/B Self.

Injuries-

1. I/W 2cmX0.5cm muscle deep over the Rt side front of chest 6.5cm below and from Lt nipple at 8 O'clock Position fresh clotted blood present.
2. Contusion 07.00cmX02.00cm on the Lt arm Laterd aspect of middle part colour Red.

3. Contusion 06.00cmX02.00cm over the Lt shoulder colour red.
4. Contusion 07.00cmX02.00cm on the Laterd aspect of Lt thigh middle part. Colour red.
5. C/O pain on the front of chest and abdomen. NO mark of injury seen. Opinion can not be given.

Opinion- Injury No 1 is caused by sharp edged weapon. Rest injuries are caused by hard and blunt object. Duration about fresh. All injuries are simple.

वादी के साक्ष्य का समर्थन पी०डब्लू० 3 तोड़ीराम ने भी किया है। तोड़ीराम पी०डब्लू० 3 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "घटना से आज से लगभग 19 वर्ष पुरानी है। समय 10.00 बजे की है। मैं चूड़ी का काम करने जाता था। लालपुर से 100 कदम आगे मारपीट हो रही थी। अनार सिंह को रोहन सिंह, जनक सिंह, दिवारीलाल, रामनाथ यादव मारपीट लात, घुंसों, डण्डों से मारपीट कर रहे थे। चाकू से मार रहे थे। यह मारपीट वाली घटना मेरे सामने की है। अनार सिंह दिवाकर जाति (धोबी) का है। मुल्जिमान लोधी राजपूत जाति के हैं।" प्रति-परीक्षा में साक्षी ने कहा कि मैं चूड़ी का काम करता हूँ। मैं खेती करता हूँ। थोड़ी सी खेती है। चूड़ी का काम मैंने करीब 20 साल पहले बन्द कर दिया है। घटना किस तारीख की है मैं नहीं बता सकता हूँ। घटना के समय मैं काम पर जा रहा था। दुर्गा नगर में काम करता था। मेरे बच्चे दिल्ली में नौकरी करते हैं। बच्चे मुझे खर्चा पानी नहीं देते हैं। वह अपने बच्चों क पालते हैं। अनार सिंह मेरे भईया बन्द लगते हैं। अनार सिंह से जान पहुँचान बचपन 1955 से ही है। अनार सिंह 20 साल पहले बालू चम्बल का काम करते थे। अनार सिंह के नाम पिस्तल का लाइसेन्स अगर है तो मुजे नहीं पता है। वारदात मुकदमा की समय 10.00 बजे की है। मैं वारदात के समय काम पर जा रहा था। यह लालपुर से 100 कदम की वारदात है। मैं पास होकर निकल कर जा रहा था। मैंने 4-6 लोगों को देखा था। 3-4 लोग मारपीट कर रहे थे और भी लोग आस-पास से आ गये थे। मुल्जिमान मौके पर किसी वाहन से नहीं थे। मैंने देखा था कि मारपीट हो रही थी। मैं निकला चला गया था। अनार सिंह से भी मैंने

बातचीत नहीं की थी। मैंने इसलिए बात-चीत नहीं की थी कि यह लोग मुझे भी मारे-पीटे नहीं। मारपीट मुल्जिमान डण्डों से कन्डों से मारपीट कर रहे थे। जो घटना दिखायी है पूर्व में लालपुर है। पश्चिम में दलामई गाँव है। उत्तर में क्या है मैं उत्तर दिशा नहीं जानता हूँ। किधर पड़ती है। मैं दक्षिण दिशा भी नहीं जानता हूँ। वह किधर को है। मैं पढा-लिखा नहीं हूँ। मैं मुकदमें के मुल्जिमानों को बहुत पहले से जानता हूँ। मुल्जिमान की आसफाबाद चौराहे पर 25-30 दुकाने हैं, मैं नहीं जानता हूँ। रोहन सिंह का खेत अनार सिंह ने जबरन घेर लिया है, यह बात मुझे नहीं मालूम है। रोहन सिंह व अनार सिंह के मुकदमें चल रहे हैं, सिविल के मुझे जानकारी नहीं है। चुटैल के पास मैं रुका नहीं था। चुटैल के साथ मैं नहीं आया था। अनार सिंह के चोटें कहाँ थी मैं नहीं बता सकता हूँ। फिर कहा कि चोटे बगल में थी। मैंने एकाध चोट देख पायी थी। मैं चला गया था। बगल में चाकू की चोट थी। घटना के बाद मेरा बयान पुलिस ने 05 या 06 महीने बाद लिया था। पुलिस वाले घर पर आये थे। पूछताछ कर चली गयी थी। मुल्जिमान क्या काम करते हैं नहीं पता फिर कहा कि खेत करते हैं। यह कहना गलत है कि रोहन सिंह वगैरह अपनी निजी दुकानों में दुकान करते हो। यह कहना गलत है कि मैं अनार सिंह का खेत वर्षों से जोत रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं सही तथ्यों को छिपाकर आज सही बात नहीं बता रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं घटना स्थल पर न रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने अनार सिंह के साथ कोई भी घटना न की हो। अनार सिंह के यहाँ महीने में एक भी बार नहीं हो पाता है। मेरे पास टाईम नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरा रोजाना अनार सिंह के यहाँ उठना-बैठना हो। आज मैं गवाही के लिये आया हूँ। पुलिस ने फोन किया था।"

अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी पप्पू चौहान को पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित किया गया, जिसने घटना का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित किया गया।

चोटहिल/वादी पी०डब्लू० 1 अनार सिंह की चोटों का मेडिकल परीक्षण डा० दिलीप कुमार पी०डब्लू० 5 द्वारा किया गया। पी०डब्लू० 5 डा० दिलीप कुमार के साक्ष्य में आया है कि वह दिनांक 25-09-2004 को जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में मेडिकल

ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उस दिन अनार सिंह आयु 30 वर्ष पुत्र बाबूराम का मेडिकल परीक्षण किया था। मजरुब स्वयं मेडिकल के लिए आया था। उसका निशानी अंगूठा लेकर चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें शरीर पर निम्न चोटें पाई गईं - **चोट नं० 1-** कटा हुआ घाव 02cmX0.5cm माँस तक गहरा था जो सीने पर सामने की तरफ दाहिनी तरफ था जो 6 ½ cm (6.5) राईट निपिल से नीचे की तरफ था, जो एट ऑफ क्लॉक पोजीशन में था, पर ताजा जमा हुआ खून लिये मौजूद था। चोट नं० 2- नीलगू निशान 07cmX02cm जो बाँये भुजा पर बाहर की तरफ बीच के हिस्से में लालिमा लिये हुये था।

चोट नं० 3- नीलगू निशान 06cmX02cm जो बाँये कन्धे पर था लालिमा लिये हुये था। **चोट नं० 4-** नीलगू निशान 07cmX02cm जो बाँयी जाँघ पर था। बाहर की तरफ बीच के हिस्से में लालिमा लिये हुये था। **चोट नं० 5-** चुटैल द्वारा सीने पर सामने की तरफ एवं पेट पर दर्द की शिकायत की गयी कोई चोट का निशान नहीं था। डा० दिलीप कुमार पी०डब्लू० 5 के अनुसार सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं। चोट नं० 1 कटा हुआ घाव, चोट नं० 2 नीलगू निशान, चोट नं० 3 व 4 नीलगू निशान पाये गये। कुल 05 चोटें पाई गई थीं। डा० दिलीप कुमार पी०डब्लू० 5 के अनुसार चोट नं० 1 किसी धारदार हथियार से कारित की गयी थी और अन्य चोटें ठोस एवं कुंद आले से आना संभव थीं। चोटें ताजा थीं। साक्षी ने मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्शक -5 स्वयं के लेख व हस्ताक्षर में तैयार करना साबित किया है। प्रति-परीक्षा में कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी धारदार चीज पर गिर जाये तो चोट आना संभव है। चोट नं० 1 सीने के दाहिनी तरफ थी। चोट नं० 1 प्राण घातक नहीं थी। थाने की कोई मजरुबी चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई थी।

उपरिवर्णित साक्ष्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण से यह बात स्पष्ट है कि वादी (Informant) अनार सिंह अनुसूचित जाति (धोबी) जाति के सदस्य हैं। जबकि अभियुक्तगण लोधी राजपूत अर्थात् सामान्य जाति के हैं। वादी के अनुसूचित जाति के होने के तथ्य से अभियुक्तगण द्वारा इंकार नहीं किया गया है। घटना दिनांक 25-09-2004 की समय प्रातः लगभग 10.00 बजे की है। उक्त तिथि एवं समय को वादी पी०डब्लू० 1 हिमायूँपुर की चम्बल सैण्ड बालू की मण्डी से वापस लौट

रहा था, लालपुर स्कूल से 100 कदम पहले सैलई की ओर पहुँचा जहाँ अभियुक्तगण रोहन सिंह, उसके सहयोगी दिवारीलाल, जनक सिंह एवं रामनाथ ने जान से मारने की नीयत से वादी को घेर लिया। वादी के कथनानुसार रोहन सिंह के पास कट्टा, दिवारीलाल के पास चाकू व जनक सिंह एवं रामनाथ के पास डण्डे थे। समस्त अभियुक्तगण ने एक राय होकर वादी को साला धोबिया कहकर गाली-गलौज किया और हमला कर दिया। दिवारीलाल ने वादी के सीने में दांयी तरफ चाकू मार दिया। शेष अभियुक्तगण ने डण्डों से मारापीटा। पी०डब्लू० 1 अनार सिंह का मेडिकल परीक्षण डा० दिलीप कुमार पी०डब्लू० 5 द्वारा दिनांक 25-09-2004 को समय 11.00 बजे प्रातः किया गया। मेडिकल परीक्षण के समय कोई मजरूबी चिह्नी नहीं थी, चूँकि वादी चोटहिल हालत में था तथा राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, इस कारण पुलिस थाना से मजरूबी चिह्नी नहीं प्राप्त की जा सकी। अनार सिंह की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-5 है, जिसमें चोट नं० 1 डा० दिलीप कुमार के अनुसार कटा हुआ घाव 02cmX0.5cm माँस तक गहरा था, जो सीने पर सामने की तरफ दाहिनी तरफ था। पी०डब्लू० 1 चोटहिल ने सीने पर अभियुक्त दिवारीलाल द्वारा चाकू से मारने का कथन किया। पी०डब्लू० 5 के अनुसार सभी चोटें ताजा थी। चोट नं० 1 किसी धारदार हथियार से कारित की गयी थी। अन्य चोटें किसी ठोस एवं कुन्द आले से आना संभव थी। दिवारीलाल के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण द्वारा डण्डों से मारा जाना कहा गया। चोटहिल अनार सिंह की मेडिकल रिपोर्ट में अंकित चोटों की पुष्टि वादी /चोटहिल के बयानों से होती है, यद्यपि कि डा० दिलीप कुमार पी०डब्लू० 5 ने कहा कि यदि किसी धारदार वस्तु पर गिर जाये तो चोट आना संभव है। सभी चोटें सामान्य थी। चोट नं० 2,3 व 4 नीलगू निशान थे। चोट नं० 5 के सम्बन्ध में यह कथन किया गया कि सीने पर सामने की तरफ और पेट पर दर्द की शिकायत बतायी गयी। वादी पी०डब्लू० 1 को कारित चोटें स्वाकारित चोटें नहीं थी, अपितु अभियुक्तगण द्वारा कारित चोटें हैं। घटना के सम्बन्ध में तत्काल मेडिकल उपचार प्राप्त करने के बाद वादी थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने के लिए गया, किन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया, तब विवश होकर

न्यायालय के समक्ष धारा 156(3)द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने में वादी की ओर से कोई अनुचित विलम्ब कारित नहीं किया गया है। विवेचक पी०डब्लू० 6 द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 कदिनांक 28-02-2005 को घटना स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त तैयार किया गया, जिसमें तीर के चिन्ह से वादी का आना दर्शाया गया है। अक्षर X से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर अभियुक्तगण द्वारा वादी पी०डब्लू० 1 के साथ मारपीट की गयी। X स्थान के उत्तर दिशा में मूँज दर्शायी गयी है। आसपास पश्चिम और पूरब दिशा में बिजली के खम्भे दर्शाये गये हैं। जिस समय घटना कारित की गयी उस समय पप्पू ठाकुर, फईम खाँ, तोड़ीराम आदि चक्षुदर्शी साक्षी उपस्थित थे, जिन्होंने अभियुक्तगण को ललकारा था। अभियोजन द्वारा पप्पू ठाकुर को पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित किया गया जो न्यायालय के समक्ष परीक्षण के समय पक्षद्रोही घोषित किया गया। उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। विवेचक को धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दिये गये बयान से साफतौर पर इंकार कर दिया। अन्य चक्षुदर्शी साक्षी फईम खाँ की मृत्यु हो गयी इस कारण उन्हें परीक्षित नहीं किया जा सका। चक्षुदर्शी साक्षी तोड़ीराम को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 3 के रूप में परीक्षित किया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में घटना को अपनी आँखों से देखना बताया है और कहा कि घटना समय 10.00 बजे की है। लालपुर से 100 कदम आगे मारपीट हो रही थी। अनार सिंह को रोहन सिंह, जनक सिंह, दिवारीलाल और रामनाथ लात, घूसों, डण्डों और चाकू से मार रहे थे। अनार सिंह दिवाकर धोबी जाति का है, जबकि मुल्जिमान लोधी राजपूत हैं। साक्षी तोड़ीराम ने कहा कि और भी लोग आ गये थे। मैंने देखा था कि मारपीट हो रही थी। वादी से कोई बातचीत इसलिए नहीं किया क्योंकि अभियुक्तगण उसे भी मार सकते थे। अभियुक्तगण को साक्षी तोड़ीराम पी०डब्लू० 3 पहले से जानता था इसलिए उन्हें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। बचाव पक्ष की ओर से बहस के दौरान यह तर्क दिया गया कि वादी और अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से मुकदमेंबाजी की रंजिश है। इसलिए उन्हें झूठा फंसाया गया है। इस सम्बन्ध में सूची पत्र 61 ब के साथ प्रपत्र 62 ब/1, 62 ब/2 तहसीलदार फिरोजाबाद को

प्रेषित आख्या एवं मानचित्र की छाया प्रति, 62 ब/3 ता 62 ब/12 मूल वाद सं० 204/2004, अनार सिंह बनाम रोहन सिंह की मूल दावे की सत्यप्रतिलिपि, 62 ब/13 ता 62 ब/22 उपरोक्त मूल वाद में प्रतिवादी रोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवाद पत्र की सत्यप्रतिलिपि, मुकदमा अपराध संख्या 45/2005 में राजेश कुमार द्वारा पंजीकृत कराया गया, अभियुक्त अनार सिंह के विरुद्ध दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, 62 ब/24 ता 62 ब/25 खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। निसंदेह उभयपक्ष के मध्य भूमि विवाद लम्बित रहा है, किन्तु यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि रंजिश दोधारी तलवार के समान है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त रंजिश के कारण घटना कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्तगण द्वारा वादी को बिना किसी उकसावे के दिनांक 25-09-2004 को घेर कर एक राय होकर चाकू से घायल किया गया। वादी चोटहिल को सीने पर चोट धारदार हथियार से कारित की गयी। अर्थात् चाकू से उक्त चोट कारित किया जाना संभव है। जिस प्रकार की चोटों का वर्णन वादी ने शपथपूर्वक बयान में किया है, उसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से भी होती है। घटना का समर्थन तोड़ीराम पी०डब्लू० 3 ने भी किया है। यद्यपि कि पी०डब्लू० 2 पक्षद्रोही हो गया, किन्तु उनके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों से यह बात सिद्ध है कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी अनार सिंह पी०डब्लू० 1 को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी है। चाकू से चोटें कारित की गयी हैं, जो एक ऐसा उपकरण है, जिसे यदि आक्रमक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाये तो उससे मृत्यु कारित होना संभव है। सीने पर चाकू से हमला किया गया, यद्यपि कि डा० दिलीप कुमार पी०डब्लू० 5 की राय में चोटें प्राण घातक नहीं थी, साधारण थी, किन्तु सभी चोटें ताजा थी। चोटों का ताजा होना भी घटना की प्रमाणिकता को सिद्ध करता है। अभियुक्तगण द्वारा वादी को जाति सूचक गालियां दी गयी तथा गंभीर रूप प्रकोपित किया गया एवं अपमानित किया गया, जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध यह जानते हुए किया गया कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है। जनता को दृष्टिगोचर स्थान पर जाति सूचक गालियां देकर अपमानित एवं अभित्रस्त किया

गया। अभियुक्तगण को झूठा फंसाये जाने का तर्क कदापि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध के सम्बन्ध में अकाट्य, विश्वसनीय एवं सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। अभियोजन कथानक एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध एक राय होकर बिना किसी उकसावे के कारित किया गया है। अभियोजन अभियुक्तगण रोहन सिंह, रामनाथ, दिवारीलाल एवं जनक सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 324/34, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण 1. रोहन सिंह, 2. रामनाथ, 3. दिवारीलाल एवं 4. जनक सिंह को आरोप अंतर्गत धारा 323/34, 324/34, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

उनकी जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा उनके जामीनदारों को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

साक्षी पी०डब्लू० 2 पप्पू चौहान द्वारा मिथ्या साक्ष्य दी गयी है और पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अतः उसके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य न्यायालय में दिये जाने के कारण धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विविध वाद दर्ज हो तथा उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 30.03.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्तगण/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण वृद्ध व्यक्ति है, किसान हैं। अभियुक्तगण के परिवार में अन्य को कमाने वाला सदस्य नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्तगण का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

(1) अभियुक्त रोहन सिंह निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता

है-

धारा 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ

रूपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/- (चार हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

(2) अभियुक्त रामनाथ निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/- (चार हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

(3) अभियुक्त दिवारीलाल निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ

रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/- (चार हजार रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

(4) अभियुक्त जनक सिंह निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता

है-

धारा 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 2,000/- (दो हजार रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/- (चार हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि चोटहिल / पीड़ित को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये। अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 30.03.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 30.03.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193